



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा) नई दिल्ली,
शाखा- कार्यालय, चतुर्थ तल, प्रशासनिक भवन, बीएचईएल, भोपाल- 462022
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY) NEW DELHI,
BRANCH OFFICE BHOPAL, 4TH FLOOR, ADMN, BUILDING, BHEL, BHOPAL - 462022
Email – brmab3ndbhopal@cag.gov.in, Tel. 0755-2500721/2502350

No. DCA/Admn/Hiring of retired officers/110/2021-22 / 01/274

Date: 19/05/2023

प्रति,

निदेशक (प्रशा.)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली - 110002

विषय : सेवानिवृत्त अधिकारियों/सीए/सीएमए की भर्ती अल्पावधि संविदा के आधार पर।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लेख है कि आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक DGA(E)/A/1-06/2021-22/KW-II/17 दिनांक 12.4.2023 का सन्दर्भ लेवे जिसके द्वारा योग्य सेवानिवृत्त अधिकारियों से वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी स्तर में रिक्तियों की अल्पवधि संविदा आधार पर भर्ती के लिए स्वीकृत प्राप्त हुई है। इस विषय से संबन्धित अधिसूचना को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखाविभाग के सभी कार्यालयों से आवेदन मांगने हेतु भेजा जा रहा है, अतः कृपया कार्यालय के वेबसाइट पर मुख्यालय कार्यालय द्वारा अधिसूचना पब्लिश करवाने का कष्ट करे।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(उप निदेशक)



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा) नई दिल्ली,

शाखा- कार्यालय, चतुर्थ तल, प्रशासनिक भवन, बीएचईएल, भोपाल- 462022

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY) NEW DELHI,
BRANCH OFFICE BHOPAL, 4TH FLOOR, ADMN, BUILDING, BHEL, BHOPAL - 462022
Email – brmab3ndbhopal@cag.gov.in, Tel. 0755-2500721/2502350

क्रमांक. निवालेप/प्रशा/सेवानिवृत्त अधिकारियों को hire करना/110/2021-22/

दिनांक: /05/2023

अधिसूचना

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा), नई दिल्ली के भोपाल शाखा कार्यालय में, मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 967-Staff (App-I/22-2016 दिनांक 03.08.2021 के अंतर्गत जारी परिपत्र संख्या 27/2021 की शर्तों एवं निर्बंधनों के अनुसार, अल्पावधि अनुबंध आधार पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) के पद पर कार्य करने को इच्छुक सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों (वाणिज्यिक) से आवेदन आमंत्रित हैं।

संविदागत कर्मचारियों पर सामान्यतः निम्न लिखित शर्तें एवं निर्बंधन लागू होंगी:

1. अनुबंध की अवधि आमतौर पर प्रारंभिक अवधि के लिए होगी जो साधारण रूप से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी एवं जिसे एक और वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति को प्रदत्त कार्य एवं उसके कार्यनिष्पादन के आधार पर अवधि को इस शर्त पर विस्तार प्रदान किया जा सकेगा कि यह विस्तार अधिवर्षिता के 5 वर्ष के पश्चात नहीं दिया जाएगा।
2. आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. अनुबंध को बिना कोई कारण बताए समाप्त अथवा कम किया जा सकता है।
4. अल्पावधि अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को भारत सरकार के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा का वाक्यांश निहित होगा।
5. देय पारिश्रमिक और भत्ता व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय जापन संख्या 3-25/2020-ई. III ए दिनांक 09.12.2020 द्वारा निर्धारित होंगे-
 - i. सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन घटाकर एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी।
 - ii. अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।
 - iii. अनुबंध की अवधि के दौरान कोई महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।
 - iv. आवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि अनुमत्य होगी जोकि नियुक्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

6. अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति की सवैतनिक छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। एक कलैण्डर वर्ष के बाद अवकाश संचयन की अनुमति नहीं दी जायेगी। हालांकि, कर्फ्यू, बंद/हड़ताल, लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थिति से उसी तरह निपटा जाना चाहिए जैसे सेवारत अधिकारियों के मामले में होता है।

9. यदि अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी ऊपर बताए गए कारणों के अलावा किसी महीने में भुगतान किए गए अवकाश से ज्यादा अवधि तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके पारिश्रमिक की कटौती आनुपातिक आधार पर निम्नानुसार की जाएगी:

निर्धारित मासिक पारिश्रमिक X अनुपस्थित दिवसों की संख्या/ कार्यदिवस

22

10. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी।

11. कार्यालय को अधिसूचना को रद्द करने या नियत तारीख को बढ़ाने या नई अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा।

भा.ले.ले.प. विभाग के इच्छुक सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी(वाणिज्यिक) जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और उपर्युक्त कार्य/नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं, संलग्न प्रपत्र में अपना बायोडाटा और पिछले पांच वर्षों के एपीएआर की प्रतियां, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। समस्त प्रकार से विधिवत भरे हुए आवेदन अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर या तो डाक द्वारा या ई-मेल brmab3ndbhopal@cag.gov.in के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित पहुंच जाने चाहिए।

भा.ले.ले.प.
(उप निदेशक)
19/05/23

क्रमांक. निवालेप/प्रशा/सेवानिवृत्त अधिकारियों को hire करना/110/2021-22/

दिनांक: /05/2023

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (प्रशा.), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा), नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं भा.ले.ले.प. के सभी कार्यालयों में प्रेषित करने हेतु प्रेषित।
2. सूचना पटल.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन.
19/05/2023



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (उर्जा) नई दिल्ली,
शाखा- कार्यालय, चतुर्थ तल, प्रशासनिक भवन, बीएचईएल, भोपाल- 462022
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY) NEW DELHI,
BRANCH OFFICE BHOPAL, 4TH FLOOR, ADMN, BUILDING, BHEL, BHOPAL - 462022
Email – brmab3ndbhopal@cag.gov.in, Tel. 0755-2500721/2502350

No. DCA/Admn/Hiring of retired officers/110/2021-22/

Date: /05/2023

NOTIFICATION

Applications are invited from retired Senior Audit Officer (Commercials)/Audit Officers (Commercial) interested to work as Sr. Audit Officer (Commercial) on short term contract basis in Bhopal Branch office of Office of the Director General Audit (Energy), New Delhi in accordance with terms and conditions prescribed in Headquarters Office Circular No.27/2021 issued under No. 967-Staff (App-I/22-2016 dated 03.08.2021.

The following broad terms and conditions will be applicable to the contractual officials

1. The term of engagement shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year. The term may be extended based on a review of the task and the performance of the contract appointee, provided that it shall not be extended beyond 5 years after Superannuation.
2. The Age should not be beyond 64 years.
3. The engagement can be terminated or curtailed by the office without assigning any reason.
4. The retired officers selected to be hired on short term contract basis shall sign an agreement of confidentiality with the Government of India containing a clause of Ethics and Integrity.
5. Remuneration and allowance payable will be governed by OM No. 3-25/2020-E.III A dated 09.12.2020, issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.
 - i. A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
 - ii. There will be no annual increment/percentage increase during the contract period.
 - iii. No Dearness allowance and House Rent Allowances shall be allowed/admissible during the term of the contract.
 - iv. An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not

exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment.

6. Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service to the retired officials hired on short term contract basis. Accumulation of leave beyond a calendar year shall not be allowed. However, absence during curfew, bandh/strike, lockdown should be dealt with in a similar way as in case of serving officials.

9. If retired officer/ official hired on short term contract basis remain absent, beyond paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/her remuneration shall be deducted on prorata basis as under:


Fixed monthly remuneration X No. of days of absence on working days

22

10. The appointment will be purely on temporary basis.

1. The office reserves the right to cancel the notification or extend the due date or to issue a fresh notification.

Interested retired Sr. AOs/AOs of IA&AD fulfilling the eligibility criteria and willing for the above assignment may submit their Bio-data in the enclosed proforma and copies of APARs of last five years, Last Pay Certificate and Aadhaar Card. Applications duly filled in all aspects must reach the under signed either by post or through e-mail brmab3ndbhopal@cag.gov.in within 15 days from the issue of the notification.


(Deputy Director)
Date: 19/05/23

No. DCA/Admn./Hiring of retired officers/110/2021-22/

Copy to:

1. Director (Admn.), O/o the Director General of Audit (Energy), New Delhi for information and further transmission to all the offices of I.A.A.D.
2. Notice Board.


18/5/2023
Senior Audit Officer/Admn.



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

DGA(E)/A/1-06/2021-22/KW-II/ 17
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

430

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(ENERGY) NEW DELHI

दिनांक/ DATED: 12.04.2023

To


The Sr. Audit Officer (Admn.)
O/o the DGA (Energy), Branch Office- Bhopal
B.H.E.L, 4th floor
Bhopal-462022


Sub.: Hiring of retired CAs/CMSs against the vacancy of Sr. AO

Madam,

With reference to your letter no.DCA/Admn/Hiring of retired officers/CAs/CMAs/67/16-17/01/2016 dated 28/03/2023, the Director General has accorded the permission to invite applications from retired eligible personnels for hiring against the vacancy in Sr. AO cadre.

Yours faithfully,


(Vishal Suman)
Sr. AO (Admn.)



DyNo-32
17/4/23

Admin
RO
17/4/23

5th, 6th & 7th floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel: 23239227 FAX: 23239211 e-mail: admin.del.energy@cag.gov.in